कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018–22/10 दिनांकः 03/01/2022

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)—माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
समस्त संस्था प्रधान सरकारी/गैर सरकारी विद्यालय।

विषयः राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश
प्रसंगः राज. सरकार गृह विभाग आदेश क्रमांक पं. 7(1)गृह –7/2021 जयपुर दिनांक : 02.01.2022 तथा इस कार्यालय से जारी विद्यालय संचालन SOP क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018 दिनांक : 26.11.2021

उपरोक्त विषयातर्गत राज्य सरकार के गृह विभाग के प्रासंगिक आदेश दिनांक : 02 जनवरी 2022 के क्रम में राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

1. नगर निगम परीक्षेत्र जयपुर की समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं एवं कक्षा 1 से 8 के लिए दिनांक : 03 जनवरी 2022 से 09 जनवरी तक अवकाश रहेगा। समस्त विद्यालय इस अवधि में इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन अध्ययन सामग्री से शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2. राज्य के अन्य जिलों के संबंध में संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार से चर्चा उपरान्त निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थानों (विद्यालय/कोचिंग संस्थान) में आने से पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपने माता–पिता/अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वे माता–पिता/अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते है उन पर संस्थान/विद्यालय द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा (**Attendance optional**) एवं उनके लिए ऑनलाईन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।
3. विद्यालय में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुक कोविड उपयुक्त व्यवहार (covid appropriate behavior) सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थी, स्टॉफ एवं अन्य आगंतुक मास्क लगाएंगे। नो मास्क नो एंट्री की पालना हर विद्यालय में सुनिश्चित की जाए।
4. स्माइल, आओ घर से सीखे, ई–कक्षा एवं अन्य ऑनलाइन शिक्षण सामग्री विद्यार्थियों तक पहुंचाने वाले डिजिटल कार्यक्रम अनवरत जारी रहेंगे तथा इस क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी चाहे वह विद्यालय में उपस्थित है अथवा घर से अध्ययन जारी रखे हुए हैं को विद्यालय की तरफ से online अध्ययन सामग्री पहुंच रही है।
5. विद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए अनिवार्य रूप से दोनों वैक्सीन लगाई जानी आवश्यक होगी।

Scanned with CamScanner

6. रोग के लक्षण वाले विद्यार्थियों को अभिभावक विद्यालय नहीं भेजे एवं तत्काल स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सक से जांच कराई जाए। विद्यालय/छात्रावास में विद्यार्थी अथवा विद्यालय के किसी भी कार्मिक में कोविड के लक्षण पाए जाने पर उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए एवं टेस्ट कराया जाकर समुचित चिकित्सीय उपचार सुनिश्चित किया जावे।
7. विद्यालय संचालन संबंधी शेष शर्ते प्रासंगिक एसओपी दिनांक : 26.11.2021 के अनुसार रहेगी।

8.1.2022
(कानी राम)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. विशिष्ट सहायक, शिक्षामंत्री (प्रारम्भिक तथा माध्यमिक), संस्कृत शिक्षा,कला साहित्य, संस्कृति तथा ए.एस.आई राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारं. शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
05. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
06. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
07. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
08. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
09. आयुक्त, मिड–डे मील, राजस्थान सरकार जयपुर।
10. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
11. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
12. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर गण।
14. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
15. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
16. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
17. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
19. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
20. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
21. मैनेजर, गुरू नानक भवन संस्थान, जयपुर।
22. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
24. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।